

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2018—वैशाख 13, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 2018

क्र. 7555-132-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ७ सन् २०१८

## मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१८

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३ मई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१८ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक २३ सन्  
१९५६ तथा  
अधिनियम क्रमांक  
३७ सन् १९६१ का  
अस्थायी रूप से  
संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) धारा ३ और ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

## भाग-एक

## मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश  
अधिनियम क्रमांक  
२३ सन् १९५६  
का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा ५ में,—

(एक) खण्ड (१) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१-क) “मनोविनोद” से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो;”;

(दो) खण्ड (२२-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(२२-ख) “मनोरंजन” में सम्मिलित है निम्नलिखित जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम, किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो:—

(एक) कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;

- (दो) डीटीएच सेवा प्रदाता द्वारा सेटलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
- (तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
- (चार) किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूर संचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन, संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि;
- (पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिताएं;
- (छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन.

**स्पष्टीकरण.**—मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी;”.

(२) धारा १३२ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(च) किसी नगरपालिक निगम क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर.”;

(दो) उपधारा (२) को विलोपित किया जाए;

(तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) उपधारा (१) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.”.

भाग-दो

### मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) का संशोधन

४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) में,—

मध्यप्रदेश  
अधिनियम क्रमांक  
३७ सन् १९६१  
का संशोधन.

(१) धारा ३ में,—

(एक) खण्ड (१) को खण्ड (१-क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (१-क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१) “मनोविनोद” से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो;”;

(दो) खण्ड (१०-ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१०-ग) “मनोरंजन” में सम्मिलित है निम्नलिखित जब कि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम, किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो—

(एक) कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;

- (दो) डीटीएच सेवा प्रदाता द्वारा सेटलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
- (तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
- (चार) किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूर संचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन, संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि;
- (पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिताएं;
- (छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन.

**स्पष्टीकरण.**—मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी;”.

(२) धारा १२७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(च) किसी नगरपालिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर.”;

(दो) उपधारा (२) को विलोपित किया जाए;

(तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) उपधारा (१) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.”.

भोपाल :  
तारीख २ मई, २०१८.

आनंदीबेन पटेल  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 3 मई, 2018

क्र. 7555-132-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 7 OF 2018

**THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN)  
ADHYADESH, 2018**

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd May, 2018.]

Promulgated by the Governor in the sixty-ninth year of the Republic of India.

**An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2018. Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 and 4. Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 and Act No. 37 of 1961 to be temporarily amended.

## PART-I

## AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT,

1956 (No. 23 OF 1956)

3. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), — Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

(1) In section 5,—

(i) after clause (1), the following clause shall be inserted, namely :—

“(1-a)“amusement” means any amusement provided in any amusement arcade or amusement park or theme park or by whatever name called, when provided in a local area for monetary consideration;”;

(ii) after clause (22-a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(22-b) “entertainment” includes the following when provided in a local area for monetary consideration in cash or in any other manner, and whether received in advance, in instalments or in any other manner:—

- (i) any exhibition, performance, amusement, game or sport to which persons are admitted;
- (ii) entertainment provided by a direct to home, (DTH) service provider through satellite;
- (iii) entertainment provided by a cable operator through cable service;
- (iv) ring tones, music, videos, movies, animations, games, jokes, etc. provided by a telecom service provider through telecom service;

- (v) contests organised through telecom services by the telecom service provider or any person;
- (vi) entertainment provided by any other technological means or device;

Explanation.—Services received by a person situated in a local area of Madhya Pradesh shall be deemed to have been provided within that local area;”.

(2) In section 132,—

(i) in sub-section (1), for clause (f), the following clause shall be substituted namely:—

“(f) a tax on entertainments and amusements provided by any person into a municipal corporation area.”;

(ii) sub-section (2) shall be deleted;

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) The mode of assessment and collection and amount of the tax specified in clause (f) of sub-section (1) shall be such as may be prescribed.”.

## PART-II

### AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In section 3,—

(i) clause (1) shall be renumbered as clause (1-a) and before clause (1-a) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

“(1) “amusement” means any amusement provided in any amusement arcade or amusement park or theme park or by whatever name called, when provided in a local area for monetary consideration”;

(ii) after clause (10-b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(10-c) “entertainment” includes the following when provided in a local area for monetary consideration in cash or in any other manner, and whether received in advance, in instalments or in any other manner-

- (i) any exhibition, performance, amusement, game or sport to which persons are admitted;
- (ii) entertainment provided by a direct to home (DTH) service provider through satellite;
- (iii) entertainment provided by a cable operator through cable service;
- (iv) ring tones, music, videos, movies, animations, games, jokes, etc. provided by a telecom service provider through telecom service;
- (v) contests organised through telecom services by the telecom service provider or any person;
- (vi) entertainment provided by any other technological means or device.

Explanation.—Services received by a person situated in a local area of Madhya Pradesh shall be deemed to have been provided within that local area;”.

**Amendment to  
the Madhya  
Pradesh Act No.  
37 of 1961.**

(2) In section 127,—

(i) in sub-section (1), for clause (f), the following clause shall be substituted namely:—

“(f) a tax on entertainments and amusements provided by any person into a municipal area.”;

(ii) sub-section (2) shall be deleted;

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) The mode of assessment and collection and amount of the tax specified in clause (f) of sub-section (1) shall be such as may be prescribed.”.

BHOPAL :  
DATED THE 2<sup>nd</sup> May, 2018.

ANANDIBEN PATEL  
Governor,  
Madhya Pradesh.